न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 29/2019 (2019/00120)

अशोक कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति रेगर निवासी 4337, गोदाम मण्डी नसीराबाद, तहसील नसीराबाद जिला–अजमेरै .....**अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री महेन्द्र सिह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
श्री हेमराज सिंह राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :–12.12.2019**

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दॉता के खसरा नम्बर 804 रकबा 0.14, खसरा नं0 806 रकबा 0.13 हैकटयर किस्म पेटा तालाब 3 खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य/चारदीवारी बनाने की पटवारी हल्का की धारा 90 ए के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए में कार्यवाही करते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश दिनांक 15.07.2019 को पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा इसी आदेश से रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभ्य पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रश्नगत स्वयं की खातेदारी भूमि पर खडी फसल को नील गाय एवं आवारा मवेशी द्वारा कारित नुकसान से बचाये जाने हेतु तहसीलदार अजमेर से प्राप्त स्वीकृति आदेश दिनांक 17.9.2018 के बाद ही अपीलार्थी द्वारा चारों ओर चार दीवारी का निमार्ण करवाया गया। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलान्ट को अपनी ही खातेदारी भूमि का अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो न्याय, नियम एवं रेकार्ड से विपरीत होने से काबिले खारिज है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2019 पूर्ण रूप से अवैध, तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मुताबिक रेकार्ड प्रश्नगत खातेदारी भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाना साबित होता है। चूंकि भूमि पेटा तालाब है जो राजकीय काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। लिहाजा खसरा संख्या 804 बाबत तहसीलदार अजमेर द्वारा जारी पूर्व स्वीकृति निरस्त कर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत भूमि पर चार दीवारी का निर्माण किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पेटा तालाब है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिसे राजस्थान भू–राजस्व नियम 1951 में दी गई शर्तो पर ही आवंटित किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत रूप से चारदीवारी का निर्माण कर उक्त शर्तो का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के खण्डन में कोई प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। लिहाजा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील, अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner